

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिंदवाड़ा
// निविदा //

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिंदवाड़ा के अंतर्गत छिंदवाड़ा, चौरई, परासिया एवं जुन्नारदेव स्थित सिविल न्यायालय के प्रतिलिपि अनुभाग में फोटो कापी का कार्य आउटसोर्स के माध्यम से कराये जाने हेतु दिनांक 05/11/2024 के सायं 5.00 बजे निविदा पृथक-पृथक सीलबंद लिफाफे में मय EMD के आमंत्रित की जाती है। निविदा का प्रारूप व निविदा के नियत व शर्ते माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर की बेवसाइट www.mphc.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है।

क्र.सं.	कार्यालय/न्यायालय का नाम	प्रतिदिन होने वाली फोटो कापी की अनुमानित संख्या
1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिंदवाड़ा	650-700
2	व्यवहार न्यायालय चौरई	200
3	व्यवहार न्यायालय परासिया	150
4	व्यवहार न्यायालय जुन्नारदेव	190-200

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
छिंदवाड़ा (म0प्र0)

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश छिंदवाड़ा (म0प्र0)

माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक—Reg(II)(SA)/24/938 दिनांक 02.07.2024 के निर्देशानुसार जिला न्यायालय में प्रतिलिपि कार्य के लिये शर्तः—

- 01— छिंदवाड़ा, चौरई, परासिया एवं जुन्नारदेव व्यवहार न्यायालय के प्रतिलिपि अनुभागों में फोटो कापी किए जाने हेतु पृथक—पृथक सीलबंद बंद लिफाफे में पूर्ण रूप से भरी हुई निविदा रूपये 10,000/- (दस हजार रुपये) की बैंक गारंटी के साथ जो कि एफ.डी.आर. या डिमांड ड्राफ्ट के रूप में हो एवं 6 माह की अवधि के लिये वैद्य हो, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला न्यायालय छिंदवाड़ा में आवश्यक रूप जिसे दिनांक 05/11/2024 को साय 05:00 बजे तक जमा हो जानी चाहिये। अपूर्ण/सशर्त/विलम्ब से प्रस्तुत निविदा अथवा बिना बयाने की राशि के अथवा बिना किसी कर/लागत के समावेश, की निविदाएं निरस्त की जावेगी।
- 02— निविदाएं दिनांक 06/11/.2024 को समय दोपहर 05.00 बजे जिला न्यायालय की क्य समिति के अध्यक्ष के विश्राम कक्ष में उन सभी उपस्थित व्यक्तियों जिन्होंने निविदाएं प्रस्तुत की हैं अगर उपस्थित हों तो उनके समक्ष खोली जावेगी। निविदा की नियम, शर्तों एवं दरों में कांटछांट, परिवर्तन या सुधार नहीं होना चाहिये। सभी प्रारूप/संलग्नक—1 हस्ताक्षरित होना चाहिए एवं उस पर संस्था की सील होनी चाहिए।
- 03— जिसकी निविदा चुनी जावेगी उसे संखीकृति पत्र के प्राप्त होने के 15 दिवस में परफॉर्मेंस गारंटी के रूप में पांच प्रतिशत संभावित अनुबंध राशि की बैंक गारंटी एफ.डी.आर./एकाउंट पेयी डिमांड ड्राफ्ट के रूप में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिंदवाड़ा के पक्ष में देनी होगी। परफॉर्मेंस सुरक्षा निधि अनुबंध के समाप्त होने के दिन से 60 दिनों के लिये वैद्य होगी, जिसमें वारंट/त्रुटि उत्तरदायित्व यदि हो, भी शामिल होंगे।
- 04— संस्था द्वारा प्रतिलिपि, प्रति कॉपी की दर के हिसाब से समस्त करों एवं शासकीय देयकों को सम्मिलित कर प्रदाय की जावेगी। एक पेज के एक तरफ की प्रति/एक पेज की दोनों तरफ की प्रति, दोनों के लिये पृथक से दर आवश्यक रूप से दर्शायी जानी चाहिये।
- 05— फोटोकापी मशीन जिला/तहसील न्यायालय परिसर में उनके निर्देशानुसार पृथक—पृथक स्थापित करनी होगी। कार्यालय समय में फोटोकापी मशीन के उपलब्धता को ठेकेदार को सुनिश्चित करना होगा।
- 06— दर का अनुबंध दर अनुबंध/कार्य आदेश की अधिसूचना दिनांक से कम से कम एक वर्ष के लिये वैद्य होगा। सेवा में संतुष्टि के आधार पर अनुबंध का समय प्रतिवर्ष के हिसाब से समान नियम एवं शर्तों पर प्रतिवर्ष अधिकतम 03 वर्ष तक की अवधि के लिये बढ़ाया जा सकता है।
- 07— कोई अग्रिम संदाय नहीं किया जायेगा। अनुबंध की अवधि में दरों में परिवर्धन नहीं किया जावेगा एवं नियमानुसार कर काटा जायेगा। सिर्फ संवैधानिक देयकों जो की शासन द्वारा अधिसूचना/नियमों के द्वारा परिवर्तित किया जाता है, को छोड़कर अनुबंध की अवधि दर की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। अतः संस्था जो कि निर्धारित राशि एक वर्ष के लिये प्रभारी रख सके, वही आवेदन करें।

- 08— प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के निर्देशानुसार मशीनों की संख्या कार्य के अनुसार जरूरत के हिसाब से कम अथवा ज्यादा की जा सकती है परंतु ठेकेदार को बिना रुकावट के कार्य को संपन्न करना होगा। अतिरिक्त व्यक्ति की भी व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे कि कार्यालय के कार्य में रुकावट न हो।
- 09— कोई परिवहन या अन्य व्यय देय नहीं होंगे।
- 10— ठेकेदार फोटोकॉपी मशीन के रख-रखाव के लिये जिम्मेदार होगा। स्टेशनरी जैसे उत्तम गुणवत्ता वाले कागज (75 जी.एस.एम.) टोनर, स्टेपलर, पिन और अन्य लागत ठेकेदार द्वारा वहन की जावेगी। फोटोकॉपी मशीन को चलाने के लिये पर्याप्त व्यक्ति को रखने की तथा उन पर होने वाले व्यय का उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।
- 11— ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि फोटोकॉपी कार्य कार्यालय में आसानी से हो सके और कार्यालय में किसी प्रकार की रुकावट न होगा। अगर कार्य में रुकावट होगी तो 500/-रुपये प्रतिदिन के हिसाब से पेनेल्टी अधिरोपित की जावेगी। इसके अतिरिक्त फोटोकॉपी के कार्य में बाजार से ज्यादा मूल्य आने पर वह राशि लंबित बिलों/संस्था की परफॉरमेंस सुरक्षा निधि से काटी जावेगी।
- 12— आदेशित कार्य को पूरा करने के लिये जिस फोटोकॉपी की स्थापना की जानी है वह एक वर्ष से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए और ठेकेदार को उक्त मशीन के मॉडल/वर्ष के सत्यापन हेतु क्य की गई मशीन का बिल प्रस्तुत करना होगा।
- 13— संस्था द्वारा लगायी जानी वाली फोटोकॉपी मशीन की बनावट और मॉडल की जानकारी सर्विस टैक्स का प्रमाण टिन नंबर और केन्द्र शासित मंत्रियों/अन्य सरकारी कार्यालयों/अंडरटेकिंग या अन्य प्रतिष्ठित संस्था जिनको कि ठेकेदार द्वारा फोटोकॉपी की आउटसोर्सिंग, सेवा प्रदान की गयी हो, के प्रमाण के दस्तावेज तथा संतुष्टि पूर्ण कार्य की रिपोर्ट पूर्ण विवरण जैसे पता ऐसे व्यक्ति का नाम जिससे संपर्क किया जा सके। इस निविदा के साथ उक्त दस्तावेज संलग्न किये जाने चाहिये।
- 14— यह ठेकेदार का दायित्व होगा कि न्यायालय के दस्तावेज किसी अनाधिकृत व्यक्ति तक न पहुंच पाये, इस शर्त का उल्लंघन पर कठोर परिणाम भुगतना होगा और अनुबंध बिना किसी सूचना के ई.एम.डी./निष्पादन प्रतिभूति और लंबित बिलों को छोड़कर समाप्त किया जा सकेगा।
- 15— अनुबंध के निष्पादन के दौरान ठेकेदार के द्वारा उपयोग में ली जाने वाली सामग्री की उच्च गुणवत्ता का ध्यान रखेगा। ठेकेदार के कोई भी भ्रष्ट या कपटपूर्ण कार्य करने पर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा और निष्पादन प्रतिभूति को जप्त किया जा सकेगा और उसे ब्लैक लिस्टेड किया जाकर उस पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
- 16— प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अनुमति के बिना उपपट्टे को अमान्य किया जावेगा।
- 17— अनुबंध के निष्पादन के दौरान यदि किसी की मृत्यु या दुर्घटना अथवा भौतिक संपत्ति की हानि होती है तो दी गयी छूट के अतिरिक्त समस्त जबाबदारी ठेकेदार की होगी।
- 18— जिला न्यायालय केवल विद्युत एवं खाली जगह की सुविधा ठेकेदार को बिना किसी शुल्क के प्रदाय करेगा अन्य कोई सुविधा नहीं।

- 19— प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश या ठेकेदार एक माह पूर्व सूचना देकर अनुबंध को समाप्त कर सकते हैं। यदि कोई भी पक्ष अनुबंध की शर्त पर उल्लंघन करता है।
- 20— ठेकेदार या उसके स्टॉप के किसी सदस्य के द्वारा जानबूझकर या अन्यथा कार्य की गुणवत्ता में कोई गंभीर त्रुटि की जाने पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को उस पर पेनेल्टी अधिरोपित करने का अधिकार होगा।
- 21— यदि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दी जाने वाली सेवा की गुणवत्ता से संतुष्ट नहीं है या ठेकेदार या उसके किसी कर्मचारी के व्यवहार से संतुष्ट नहीं है तो वह 24 घंटे के अंदर उसमें सुधार करने का नोटिस उसे दे सकते हैं और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को यह अधिकार होगा कि वह उस पर पेनेल्टी अधिरोपित करने के साथ उचित कदम उठा सकते हैं।
- 22— प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश केवल ठेकेदार द्वारा की गई फोटोकॉपी का ही मूल्य अदा करेंगे। यदि अनुबंध की किसी शर्त का उल्लंघन होता है या दिया गया कार्य पूर्ण नहीं होता है तो अनुबंध में वर्णित अन्य उपचार को सुरक्षित रखते हुये 500/- रुपये प्रति घटना/ प्रतिदिन के हिसाब से लंबित बिलों से अनुबंध राशि की अधिकतम 10 प्रतिशत राशि काटी जा सकेगी तथा उसे उसके कार्य का मूल्य देने से इंकार भी किया जा सकेगा। यदि पृष्ठ या प्रिंटिंग इत्यादि संतोषजनक न हो।
- 23— अनुबंध का निष्पादन ठेकेदार की जिम्मेदारी है और स्थल पर कार्य की सुरक्षा उसकी जिम्मेदारी होगी।
- 24— अनुबंध के दौरान केन्द्र सरकार और स्थानीय प्राधिकरण द्वारा निर्मित तथा भविष्य में अधिसूचना द्वारा श्रम अधिनियम के अंतर्गत पारित किये जाने वाले समस्त नियम अधिनियमों का अनुबंधकर्ता पूर्ण समय पालन करेगा। यदि ठेकेदार के विरुद्ध सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसके कार्य से किसी नियम या अधिसूचना द्वारा संशोधित अधिनियम का उल्लंघन किये जाने पर उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाती है तो वह नियोक्ता (प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश) को क्षतिपूर्ति देगा।
- 25— अनुबंध के दौरान ठेकेदार के किसी कार्य या लापरवाही से अगर जिला न्यायालय की किसी संपत्ति की क्षति होती है या चोरी होती है तो ठेकेदार को उसे अपने स्वयं के व्यय से पूर्ति करना होगा।
- 26— प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी निविदा को पूर्ण बिना कोई कारण बताये निरस्त कर सकेंगे।
- 27— यदि दोनों पक्षों के मध्य अनुबंध को लेकर कोई विवाद होता है तो उसे बातचीत से सुलझाने का प्रयास किया जावेगा परंतु बातचीत से कोई हल न निकल पाने की स्थिति में उसे एक मात्र मध्यस्थ (सोल आरबीट्रेटर) जो कि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश छिंदवाड़ा होगे, के समक्ष रखा जावेगा और उनके द्वारा दिया गया अधिनिर्णय/निर्णय अंतिम होगा और दोनों पक्षों पर लागू। मध्यस्थता की कार्यवाही पंचाट और सुलह अधिनियम 1996 के अंतर्गत की जावेगी।


 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
 छिंदवाड़ा म0प्र0

**OFFICE OF THE PRINCIPAL DISTRICT & SESSIONS JUDGE,
CHHINDWARA (M.P.)**

LIMITED TENDER PERFORMA FOR OUTSOURCE PHOTOCOPY WORK

- 1- Rate Quotation of the Tender (INCLUSIVE OF ALL TAXES) :

S.No.	Particulars	Rate per copy with Paper (A-4 size J.K. orient/bilt matrix Board paper, 75 gsm)	Rate of copy with (legal size of J.K. orient/bilt matrix Board paper, 75 gsm Paper)
1-	Single side photocopy on one sheet		
2-	Photocopy on back to back side on one sheet		

2- Machine Model No. and Make _____

3- Earnest money details : _____ date _____ for
Rs. 10000/- Name of Bank _____

4- PAN No. _____

5- TIN No. _____

The terms and conditions of the tender are acceptable to me/us.

Signature _____

Name & Address with seal & Date _____

Phone (O) _____

(M) _____

(R) _____